न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(2) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 03/2023

1. नन्दलाल पुत्र श्री गणपतराम जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी /आवेदक

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचात समिति रावतसर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत पल्लू पचायत समिति रावतसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पल्लू पंचायत समिति रावतसर।

–असल अप्रार्थीगण–

3. आशाराम पुत्र श्री चेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. लखुसिंह पुत्र श्री डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. भागूसिंह पुत्र श्री जसुसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
7. श्रवणसिंह पुत्र श्री लाधूसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू ज़िला हनुमानगढ़।
8. कानसिंह पुत्र श्री बैरीशालसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
9. भजनलाल पुत्र श्री रामूराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
10. कलावतीदेवी पत्नी श्री हरिराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
11. हनुमानसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

12. प्रेमकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थितः— श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—01

श्री अंजनी कुमार तिवाड़ी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 11

निर्णय दिनांकः— 20/5/2025

प्रार्थी नन्दलाल पुत्र श्री गणपतराम जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ द्वारा स्थगन आदेश दिनाक 24.04.2023 कार्य प्रशासनिक एवं स्थापना समिति पंचायत समिति रावतसर के द्वारा अप्रार्थीगण के पटटो पर निर्माण व परिवर्तित ना करे का उन्हे बिना सुने पारित किया है, को अपास्त करवाने बाबत निगरानी प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर की बैठक दिनांक 22.04.2023 के प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार लिये गये निर्णय की पालना में ग्राम पल्लू के आबादी भूमि में हो रहे निर्माण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण समिति सदस्यों ने दिनांक 23.04.2023 को प्रधान महोदया की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया व रिपोर्ट दिनांक 24.04.2023 को प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर की बैठक में प्रस्तुत की तथा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली बैठक में आगामी कार्यवाही हेतु पेश हुई तथा पत्रावली के अवलोकन के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पल्लू के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.12.2004 को जारी कुल 14 पट्टों की प्रमाणित प्रति (संलग्न) दौरान जांच दिनांक 27.08.2021 को उपलब्ध करवाई गई का विवरण प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण नम्बर 3 ता 12 व मृतक सुमित्रा पत्नी श्री शीशपालसिंह जाति राजपूत व मृतक पूरी सुगनाराम जाति ब्राह्मण साकिन पल्लू तहसील पल्लू व मृतक नाथूराम पुत्र श्री सुगनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ मौका निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्थान पंचायत राज नि[illegible] 156 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है व विवादित भूमि पर कोई स्थायी निर्माण ना [illegible] ही गत 18—19 वर्षो के दौरान हुआ तथा उक्त स्थान पर ग्राम पंचायत व जल ग्रहण विकास समिति द्वारा पूर्व में कुंआ व नाला निर्माण भी किया गया, यदि किसी का कब्जा प्रश्नगत स्थान पर होता है तो तत्समय ग्राम पंचायत व जल ग्रहण समिति द्वारा उक्त भूमि का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

कब्जाधारी नही करने देता, ऐसी पूर्णतः आशंका थी चूंकि वर्ष 2004–05 में ग्राम पंचायत पल्लू ग्राम पल्लू की डीएलसी दर 32/– रूपये प्रति वर्गफुट अर्थात 288 रूपये प्रति वर्गगज थी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 156 के अन्तर्गत मात्र 2/– रूपये प्रति गज की दर से पट्टे आंवटित किये गये है जो कि राजस्थान पंचायत राज नियम 152 व 156 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा समस्त तथ्यों पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के अन्तर्गत अंतिम विनिश्चत किये जाने से पहले ग्राम पंचायत व पट्टा धारी को सुनवाई का अवसर दिया जावे चूंकि राजस्थान पंचायत राज नियम 152 व 156 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। व डीएलसी दरो मुकाबले नाम मात्र की शुल्क वसूल कर पट्टे जारी कर राजकोष को लाखों रूपयों की हानि पहुंचाई गई है। अतः उपरोक्त क्रम सं. 1 ता 14 तक वर्णित पट्टो की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण व स्थिति परिवर्तित ना हो इस आशय का स्थगन आदेश ने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया तथा उपरोक्त स्थगन आदेश प्रार्थी व अप्रार्थीगण को बिना सुने तथा तीन मृतकगण के खिलाफ पारित किया है तथा उक्त आदेश को पारित करते समय प्रभावित पक्षकार को कतई सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है तथा प्रार्थी उक्त स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2023 ब अदालत अधीनस्थ न्यायालय का अपास्त करवाने हेतु यह निगरानी निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करते है–

(1) आदेश दिनांक 24.04.2023 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम व वाक्यात व रुएदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया हैं।

(2) मातहत अदालत का आदेश दिनांक 24.04.2023 बिना किसी सही जांच दस्तोजात व सही विश्लेषण किये वगैर कतई मनमाना स्वैच्छाचारी तथा नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है तथा आदेश दिनांक 24.04.2023 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

(3) मातहत अदालत ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पटटो जो दिनांक 20.12.2004 को नियमानुसार जारी किये गये तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने उक्त पटटे को रजिस्ट्रर्ड करवा लिया है, जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण का कब्जा सन 2004 से चला आ रहा है तथा वे उक्त पट्टे के आधार पर मालिक व काबिज है तथा उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2023 पारित कर कानूनी गलती की है तथा [illegible] शून्य है क्योंकि उक्त आदेश मृतकगण सुमित्रादेवी पत्नी श्री शिशपाल जाति राजपूत व मांगीलाल पुत्र श्री सुगनाराम जाति ब्राह्मण व नत्थूराम पुत्र श्री सुगनराम ब्राह्मण निवासीगण पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ के खिलाफ जारी किया, जो नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

मृतकगणों के खिलाफ कानूनन ना तो उनके पक्ष में कोई आदेश पारित किया जा सकता है तथा ना ही उनके खिलाफ कोई आदेश पारित किया जा सकता है तथा आदेश दिनांक 24.04.2023 ब अदालत मातहत इसी आधार पर काबिल मन्सूखी है।

(4) मातहत अदालत ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण व मृतकगण सुमित्रा व मांगीलाल, नत्थूराम के सन 2004 में जारी पटटे जो अब रजिस्ट्रर्ड शुदा है तथा वे उक्त पटटेशुदा भुखण्ड के मालिक व काबिज है तथा उन्हे बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये वगैर स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2023 पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ है, केवल राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर पारित किये है, जो काबिल अपास्तनीय है।

(5) यह कि स्थगन आदेश दिनांक 24.04–.023 बअदालत मातहत आदेश को पारित करते समय प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को सुनवाई व सबूत का कोई मौका दिये वगैर दिनांक 23.04.2023 मौका निरीक्षण समिति सदस्यों द्वारा मौका पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को कोई सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किये गये है तथा आदेश दिनांक 24.04.2023 ब अदालत मातहत सहज न्याय के खिलाफ है तथा काबिल मन्सूखी है।

(6) पटटे सन 2004 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की दफा 152 व 156 का किसी प्रकार कोई उल्लंघन नही है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे मैला मेदान के पटटो के अलावा इन 14 पटटो को आबादी भूमि में माना है।

(7) आदेश दिनांक 24.03.2023 पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने अपना न्यायिक स्व–विवेक काम में नही लिया है तथा कतई गलत आधार पर आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

(8) तरतीबी अप्रार्थीगण का हित प्रार्थी के साथ है तथा वर वक्त निगरानी प्रस्तुत करते समय उपस्थित नही होने की वजह से तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है तथा वे जब चाहे प्रार्थीगण बन सकते है।

(9) अन्य वजूहात निगरानी वक्त बहस अर्ज की जावेगी।

(10) निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं [illegible] क्षेत्राधिकार में है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश व अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2023 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री मांगेराम गोदरा एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–2 ता 11 की ओर से श्री अंजनी कुमार तिवाड़ी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री विजयसिंह कड़वासरा ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर द्वारा दिनांक 24.04.2023 को प्रार्थी एंव तरतीब अप्रार्थीगण के पट्टो पर स्थगन आदेश पारित किया है। दिनांक 23.04.2023 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 2 में 14 पट्टो की कमेटी की जांच पाया कि मैला मैदान की जमीन में पट्टे जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर द्वारा स्थगन आदेश पारित कर प्रार्थी एंव तरतीबी अप्रार्थीगण को निर्माण करनें रोक दिया गया। प्रार्थी एंव तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.04.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया। इस विवादित भूमि के संबध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश की गई। जिसमें रिपोर्ट में कहा गया कि पट्टे आबादी भूमि में जारी किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि यह 14 पट्टे अलग है। मृतको के खिलाफ स्थगन आदेश पारित किया गया है। एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही कर स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी एंव तरतीबी अप्रार्थीगण को सुनवाई अवसर भी नहीं दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी प्रथम स्तर पर ही खारिज योग्य है क्योंकि अभी कमेटी का निर्णय नहीं हुआ है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ में पट्टे खारिज किये गये है। विवादित स्थल मेला ग्राउंड है एंव विवादित स्थल पर निर्मित कुआं अभी भी है। इस मेला ग्राउंड की भूमि पर पट्टा बनाकर निर्माण कार्य कर लिया है। कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर स्थगन आदेश पारित किया गया। विवादित पट्टों की मूल अपील अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर में जैरकार है। प्रार्थी एंव तरतीबी अप्रार्थीगण के पास के दस्तावेज है तो कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः निगरानी खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में पुनः कथन किया कि मेला ग्राउंड एंव 14 पट्टों की भूमि अलग–अलग है। दोनों के बीच लगभग 200 फीट की दूरी है। मेला ग्राउंड

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

सुरक्षित है। विवादित स्थल में से बरसाती पानी निकासी हेतु नाला बना हुआ है। विवादित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रावतसर द्वारा बिना सुनवाई के स्थगन आदेश पारित किया है। कमेटी द्वारा पारित निर्णय सही नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जावे

ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा दिनांक 20.04.2023 को गठित कमेटी की रिपोर्ट निम्न प्रकार है—

1. मौका निरीक्षण करनें पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे आबादी भूमि ही बनाये गये है, वहां पर गिनाणी/ मेला मैदान की जगह नहीं है।

2. उक्त स्थान पर ग्राम पंचायत व जल ग्रहण समिति द्वारा पूर्व में कुआं व नाला निर्माण किया गया था, वो पट्टेशुदा भूमि से पूर्णतः बाहर है।

3. उक्त स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा रा.प.रा.नि. 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत आपसी बातचीत के आधर पर कुल 14 पट्टे जारी किये गये है, जो नियमानुसार सही है।

4. उक्त पट्टेशुदा स्थान पर पट्टाधारकों द्वारा निर्माण सामग्री डालकर निर्माण किया गया है व अपना पानी कनैक्शन भी करवाया गया है। उक्त स्थल के संबध में पूर्व में दायर याचिका को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा खारिज किया गया है।

समस्त तथ्यों पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त विवादित स्थल नहीं होकर पट्टेशुदा आवासीय भूमि है जिस पर रा.प.राज.नि.156 के अन्तर्गत आपसी बातचीत के आधार पर आबादी भूमि पर निर्माण कार्य संबधित द्वारा किया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी कुल 14 पट्टे निर्विवाद एंव नियमानुसार सही है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गय एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार उक्त विवादित स्थल नहीं होकर पट्टेशुदा आवासीय भूमि है एंव ग्राम पंचायत द्वारा जारी कुल 14 पट्टे निर्विवाद एंव नियमानुसार सही है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति रावतसर द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच कमेठी की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि आबादी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय प्रशासनिक एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति, रावतसर के आदेश क्रमांक 178 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कुल 14 पट्टों की भूमि पर किसी प्रकार निर्माण कार्य करनें रोका जाना न्यायौचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 178 दिनांक 24.04.2023 खारिज योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय प्रशासनिक एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति, रावतसर द्वारा के आदेश क्रमांक 178 दिनांक 24.04.2023 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय प्रशासनिक एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति, रावतसर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि विवादित 14 पट्टो की भूमि की जांच कर एंव पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण की मूल प्रति निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 20/5/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर लोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:47 IST
Reason: SelfAttested